केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bengaluru – 560068

सं. No.केरेबो CSB- 19/2011-12-हिन्दी　　　　दिनांक Date : 18.02.2013

परिपत्र CIRCULAR

विषय : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के काग़ज़ात द्विभाषी में जारी करने और हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में ।

Sub : Issuing of documents under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 in bilingual and Replying to the letters in Hindi received in Hindi - reg.

***

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन जारी किए जाने वाले काग़ज़ात अर्थात् सामान्य आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय टिप्पणी, आदेश, सूचना, अधिसूचनाएँ, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएँ, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के एक सदन में या दोनों में प्रस्तुत सरकारी काग़ज़-पत्र (रिपोर्ट के अलावा), संसद के एक सदन में या दोनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट तथा प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें (संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा) को द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अँगरेजी में जारी किया जाना है तथा हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर भी केवल हिन्दी में दिया जाना है ।

The Documents i.e. General Orders, Circulars, Memoranda, Office Memoranda, Office Notes, Orders, Notices, Notifications, Press Communiques/Releases, Contracts, Agreements, Licences, Permits, Notice and forms of Tenders, Resolutions, Rules, Official papers laid before a House or both the Houses of Parliament (other than Reports), Administrative and other Reports laid before a House or both the Houses of Parliament and Administrative or other Reports (other than those laid before a House or both the Houses of Parliament) to be issued under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 should be issued in bilingual i.e. Hindi & English only and letters received in Hindi should also be replied to in Hindi only.

सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन जारी किए जाने वाले सभी काग़ज़ात को द्विभाषी में जारी करना तथा हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी या द्विभाषी में देना सुनिश्चित किया जाए ।

All the Officers are requested to kindly ensure to issue all the documents to be issued under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 in bilingual and ensure reply to the letters in Hindi or bilingual, received in Hindi.

ईशिता राय

(ईशिता रॉय ISHITA ROY)
सदस्य-सचिव Member-Secretary

सेवा में To

1. केरेबो मुख्यालय के सभी अधिकारी/प्रभारी All Officers/Incharge of CSB Headquarter
2. आँचलिक कक्ष के प्रभारी अधिकारी In-charge Officers of Zonal Cell
3. भारतीय रेशम मार्क संगठन Silk Mark Organisation of India
4. केरेबो के सभी कार्यालय All Offices of CSB